

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक : 2026/51

दिनांक : 02.09.2026

:: कार्यालय आदेश ::

मैं महेन्द्र कुमार टॉक, (UID RJ0865) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह सितंबर 2026 में आने वाले (सारणी के कॉलम 04 में वर्णित) राजकीय अवकाशों में जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़, शेरगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय अवकाश की तिथि को संबंधित अधिकारी को संबंधित न्यायालय के मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करता हूँ:-

क्र. स.	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाइल नंबर	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक
01.	श्री रवि प्रकाश बाकोलिया अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर	9461350578	04/09/2026 06/09/2026 (सम्पूर्ण जोधपुर जिला हेतु)
02.	श्री सुधीर चौहान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियां	9414464394	12/09/2026 13/09/2026 (सम्पूर्ण जोधपुर जिला हेतु)
03.	श्रीमती दिव्या शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर	8619797816	20/09/2026 21/09/2026 (सम्पूर्ण जोधपुर जिला हेतु)
04.	श्री लोकेश परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	9414224232	27/09/2026 (सम्पूर्ण जोधपुर जिला हेतु)

नोट:- 01. उक्त दिवस में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

02. किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु ड्यूटी उससे तुरंत पूर्व/पश्चात अवकाश दिवस के लिए अधिकृत ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्वहन की जावेगी।

03. यदि किसी अभियुक्त को जिसे विशेष अधिनियम (Sc/St Act Cases & PocsO Act Cases) के तहत गिरफ्तार किया गया हो और मुख्यालय पर संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने एवं उनके न्यायालय के लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग के न्यायाधीश) के भी उपलब्ध न होने की स्थिति में अवकाशकालीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अभियुक्त की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

04. एन.डी.पी.एस. प्रकरणों के रिमाण्ड के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के आदेश क्रमांक स्था./2022/1090-1104 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार आदेश पारित करेंगे।

Digitally signed
by MAHENDRA
KUMAR TAK
Date:
2026.09.02
15:21:42 +0530
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक : 389 - 393

दिनांक : 02/09/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/बिलाड़ा/बालेसर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/बालेसर/ओसियां।
5. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/बालेसर/पीपाड़ शहर/भोपालगढ़/बिलाड़ा/शेरगढ़।
6. श्रीमान् न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
7. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
8. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
9. उपनिदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
10. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. कार्यालय प्रति।

Digitally signed
by MAHENDRA
KUMAR TAK
Date:
2026.09.02
15:21:51 +0530

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला